

07-11-18

प्राची के वकील (उपस्थित) पत्रावली को
अवलोकन किया। प्राची द्वारा यह प्राची
पत्र मुन्सिकेली तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी
डी. श्री साधुराम जाट के विरुद्ध प्रस्तुत किया
गया है। पूर्व में श्री साधुराम जाट SDO डी. का
(स्थानान्तरण) अम्पत्र हो चुका है। ऐसी स्थिति
में प्राची को मुन्सिकेली प्राची पत्र प्रभावहीन
होने से इसी SDO या खारिज किया जा रहा है।
पत्रावली के साथ शुभा लाल बादरामील नाम है।

जिला कलेक्टर
भारतपुर (गज०)

